प्रेषक,

सचिव
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज–211001

फोन : 2423779, 2622160
फैक्स : (0532) 2624569
ई–मेलः secretary@uphesc.org
वेबसाइट : www.uphesc.org

पत्रांकः उ0शि0आयोग/सी–692/ 35 /2019–20 **दिनांक** : 08 अप्रैल, 2019

1. (क) डॉ0 रवीन्द्र कुमार पाण्डेय तथा डॉ0 एस0एन0 शर्मा ने अपने प्रत्यावेदनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना को लागू करने का अनुरोध किया है।

   (ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों की चयन प्रक्रिया) विनियमावली, 2014 के नियम 3 में कहा गया है कि अध्यापक (जिसके अन्तर्गत प्राचार्य भी शामिल है) के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं वही होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएंगी।

   (ग) डॉ0 रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के प्रत्यावेदन में संदर्भित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना अभी राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की सूचना अप्राप्त है। अतः उसके उपबन्धों को लागू करना न्यायानुमत नहीं है।

   (घ) संदर्भ के लिए यह तथ्य भी अभिलेख पर लाया जाना प्रासंगिक है कि डॉ0 रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के प्रत्यावेदन में संदर्भित 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना पर पुनर्विचार के लिए यू0जी0सी0 द्वारा लोक अधिसूचना संख्या F-9-1/2010 (PS/Misc) Pt. File Vol. I दिनांक 26 नवम्बर, 2018 के माध्यम से पुनर्विचार समिति का गठन किया जा चुका है।

   (ङ) उ0प्र0 शासन ने पत्रांक 377/सत्तर–1–2013–16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 को अंगीकार किया गया है अतः प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यथासंशोधित नियम 2010 ही लागू है।

2. (क) प्राचार्य पद के लिए निर्धारित शोध अनुभव के स्पष्टीकरण के लिए डॉ0 डी0के0 सिंह का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है।

   (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विनियमावली, 2010 के नियम 4.1.0 में प्रोफेसर पद की न्यूनतम अर्हता तथा नियम 4.2.0 में प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है। नियम 4.1.0 के A(ii) में कहा गया है कि –

"..... including experience of guiding candidates for research at doctoral level."

प्राचार्य पद की अनिवार्य योग्यता में नियम 4.2.0 के (ii) में शोध के सम्बन्ध में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो निम्नवत् है –

"A Ph.D. Degree in concerned/ allied /relevant discipline(s) in the institution concerned with evidence of published work and research guidance"

प्रोफेसर व प्राचार्य के लिए शोध अनुभव के सम्बन्ध में निर्धारित योग्यता के मामलों में अलग–अलग शब्दावली का स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रोफेसर पद हेतु पी–एच0डी0 स्तर का शोध निर्देशन आवश्यक है जबकि प्राचार्य के मामले में शोध के किसी भी आयाम का अनुभव होना पर्याप्त/आवश्यक है।

(ग) उपरोक्त का सम्यक् विश्लेषण करने पर समिति का मत है कि प्राचार्य पद हेतु पी–एच0डी0 स्तर पर शोध कराने के अनुभव के अलावा यदि किसी प्रध्यापक ने एम0ए0, एम0फिल0 स्तर पर लघुशोध प्रबन्ध इत्यादि का शोध निर्देशन किया हो या किसी प्रोजेक्ट या शोध पत्र लेखन या अन्य किसी प्रकार की स्थानीय शोधात्मक गतिविधि/कार्य का निर्देशन किया हो तो उसे शोध निर्देशन से सम्बन्धित अर्हता के अन्तर्गत शामिल माना जाय।

3. डॉ0 एस0एन0 शर्मा के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में समिति का मत है कि आयोग की विज्ञप्ति में प्राचार्य पद पर कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अर्हता में मिली छूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विनियमावली के अनुरूप है। प्राचार्य के कार्यकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यू0जी0सी0 के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। लिखित परीक्षा पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है और उसका संचालन आयोग की विनियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप है।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर समिति का मत है कि –

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2018 को जारी अधिसूचना द्वारा प्राचार्य पद के लिए निर्धारित योग्यता को स्वीकार करना न्यायानुमत नहीं है क्योंकि उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) प्राचार्य पद के लिए शोध अनुभव की अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उसमें एम0ए0, एम0फिल0 या अन्य स्तर पर लघुशोध प्रबन्ध इत्यादि का शोध निर्देशन करने या प्रोजेक्ट या शोध–पत्र लेखन या इस तरह के अन्य शोधात्मक गतिविधियों/कार्यों के निर्देशन का अनुभव भी शामिल हैं।

समिति द्वारा दी गयी उक्त राय के आधार पर समिति का अभिमत अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग के पोर्टल तथा वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

भवदीया

8/4/19

(वन्दना त्रिपाठी)
सचिव